



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर

क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 दिनांक 09.06.2024.2024 (रविवार)

परीक्षा परिणाम

विज्ञप्ति क्र.-11314/17/2024/अनु-10

इंदौर दिनांक :-22/11/2024

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01/ विज्ञापन क्रमांक-53/2022/30.12.2022, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 27.05.2023।

(1)	विज्ञप्ति क्रमांक-12658/2022/अनु-6, दिनांक 05.01.2023 (विज्ञापन के संबंध में केविएट याचिका दायर करने के संबंध में सूचना)।
(2)	शुद्धि पत्र क्रमांक-1/16/2022 से 53/2022 दिनांक 10.01.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रन्थपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन)।
(3)	शुद्धि पत्र क्रमांक-2/52/2022 से 53/2022 दिनांक 31.03.2023 (ग्रन्थपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा-2022 अर्हकारी अंकों में 05 प्रतिशत अंकों की छूट के संदर्भ में)।
(4)	संशोधित शुद्धि पत्र क्रमांक-3/16/2022 से 53/2022 दिनांक 25.07.2023 (सहायक प्राध्यापक, ग्रन्थपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन)।
(5)	शुद्धि पत्र क्रमांक-4/53/2022 दिनांक 24.11.2023 (क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने संबंधी)।
(6)	सूचना पत्र क्रमांक-01/53/2022, दिनांक-22.12.2023 क्रीड़ा अधिकारी हेतु परीक्षा आयोजन की सूचना।
(7)	विज्ञप्ति क्रमांक-3016/2024/प.नि., इंदौर दिनांक 13.01.2024 (सहायक प्राध्यापक, ग्रन्थपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 तिथि परिवर्तन के संबंध में)।
(8)	विज्ञप्ति क्रमांक-3139/पेड/2024/प-9 दिनांक-27.02.2024 सहायक प्राध्यापक, ग्रन्थपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 दिनांक-03.03.2024 को आयोजित परीक्षा के स्थगन के संबंध में।
(9)	शुद्धि पत्र क्रमांक-7/16-53/2022 दिनांक 28.03.2024 (क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022(समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रन्थपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदाय किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)।
(10)	शुद्धि पत्र क्रमांक-8/16-53/2022 दिनांक 12.04.2024 (संशोधित तिथि विन्यास), (क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022(समस्त विज्ञापित विषयों हेतु) एवं ग्रन्थपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदाय किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक)।
(11)	शुद्धि पत्र क्रमांक-9/16-53/2022 दिनांक 27.05.2024 क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा के आयोजन की, सूचना संबंधी)।
(12)	शुद्धि पत्र क्रमांक-10/53/2022 दिनांक-20.11.2024 क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 विज्ञापित पदों हेतु मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग की जानकारी

02/ उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 जिला मुख्यालय इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर, शहडोल एवं उज्जैन के केन्द्रों पर दिनांक 09.06.2024 (रविवार) को दो सत्रों प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र शारीरिक शिक्षा दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03/ उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	23	9	77	15	5	129
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	8	3	25	5	2	43
(स)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ExSer)	-	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	(PH-OH-1, HH-9)					10

अविरत /

Handwritten signature
22/11/24

04/ राज्य सेवा परीक्षा-2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 29 सितंबर 2022" के प्रकाश में विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-53/2022/30.12.2022 में मुख्य एवं प्रावधिक भाग के विज्ञापित पदों के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र.-55 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

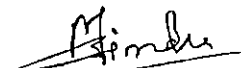
परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है :-

1. सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
2. परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए।

सामान्य प्रशासन विभाग के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" में दिए गए निर्देशों एवं आयोग के निर्णय अनुसार क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग में घोषित किया जाना है। क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 हेतु मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु) के पदों का रिक्ति विवरण प्राप्त हुआ है। जिसे आयोग द्वारा शुद्धि पत्र क्रमांक-10/53/2022, दिनांक 20.11.2024 को आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया गया है। विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	पद का नाम	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद	मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों)	प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु)
01	क्रीड़ा अधिकारी (प्राणीशास्त्र) परीक्षा-2022	15	11	4

उपरोक्तानुसार क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 के परीक्षा परिणाम में मुख्य भाग-अ के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से अर्ह कुल-211 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-


22/11/24

अविरत /

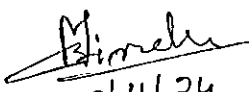
MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
SPORTS OFFICER & LIBRARIAN EXAM 2022 (SPORTS OFFICER)- PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO	S.NO.	ROLLNO
1.	190007	37.	190096	73.	190212	109.	190358	145.	190553
2.	190009	38.	190097	74.	190213	110.	190368	146.	190562
3.	190012	39.	190098	75.	190216	111.	190369	147.	190563
4.	190013	40.	190107	76.	190220	112.	190370	148.	190570
5.	190016	41.	190108	77.	190222	113.	190374	149.	190579
6.	190017	42.	190110	78.	190229	114.	190378	150.	190585
7.	190018	43.	190111	79.	190233	115.	190381	151.	190594
8.	190020	44.	190114	80.	190237	116.	190385	152.	190597
9.	190026	45.	190117	81.	190242	117.	190389	153.	190598
10.	190027	46.	190118	82.	190243	118.	190396	154.	190599
11.	190029	47.	190119	83.	190246	119.	190403	155.	190600
12.	190036	48.	190123	84.	190248	120.	190414	156.	190601
13.	190037	49.	190127	85.	190256	121.	190415	157.	190604
14.	190039	50.	190128	86.	190260	122.	190419	158.	190607
15.	190040	51.	190129	87.	190265	123.	190439	159.	190609
16.	190041	52.	190130	88.	190266	124.	190441	160.	190620
17.	190044	53.	190131	89.	190279	125.	190443	161.	190621
18.	190049	54.	190136	90.	190303	126.	190447	162.	190626
19.	190051	55.	190139	91.	190306	127.	190458	163.	190627
20.	190052	56.	190147	92.	190316	128.	190466	164.	190630
21.	190053	57.	190155	93.	190319	129.	190469	165.	190631
22.	190054	58.	190157	94.	190320	130.	190472	166.	190636
23.	190064	59.	190159	95.	190323	131.	190478	167.	190637
24.	190067	60.	190160	96.	190326	132.	190479	168.	190640
25.	190072	61.	190165	97.	190328	133.	190481	169.	190649
26.	190074	62.	190169	98.	190331	134.	190488	170.	190652
27.	190076	63.	190173	99.	190332	135.	190496	171.	190657
28.	190077	64.	190182	100.	190335	136.	190498	172.	190658
29.	190079	65.	190183	101.	190337	137.	190514	173.	190659
30.	190082	66.	190186	102.	190341	138.	190523	174.	190662
31.	190084	67.	190187	103.	190342	139.	190527	175.	190673
32.	190085	68.	190193	104.	190348	140.	190528	176.	190680
33.	190086	69.	190196	105.	190352	141.	190529	177.	190696
34.	190089	70.	190199	106.	190353	142.	190530	178.	190721
35.	190091	71.	190205	107.	190355	143.	190548	179.	190723
36.	190093	72.	190210	108.	190357	144.	190550	180.	190734

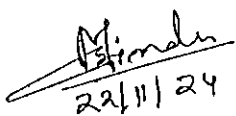
M. K. Singh
22/11/24

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
SPORTS OFFICER & LIBRARIAN EXAM 2022 (SPORTS OFFICER)- PART A (MAIN)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S.NO.	ROLLNO
181.	190739
182.	190745
183.	190774
184.	190778
185.	190780
186.	190785
187.	190788
188.	190790
189.	190792
190.	190793
191.	190796
192.	190806
193.	190813
194.	190819
195.	190824
196.	190828
197.	190832
198.	190836
199.	190837
200.	190838
201.	190839
202.	190844
203.	190845
204.	190852
205.	190854
206.	190857
207.	190868
208.	190883
209.	190906
210.	190912
211.	190921


22/11/24

प्रावधिक भाग-ब के लिए साक्षात्कार हेतु कुल विज्ञापित पदों के 3 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से साक्षात्कार हेतु अर्ह कुल-30 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-


22/11/24

अविरत /

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
SPORTS OFFICER & LIBRARIAN EXAM 2022 (SPORT OFFICER)- PART B (PROVISIONAL)
ROLL NUMBER WISE LIST OF SELECTED CANDIDATES

S.NO.	ROLLNO
1.	190032
2.	190056
3.	190069
4.	190112
5.	190134
6.	190145
7.	190224
8.	190231
9.	190324
10.	190329
11.	190363
12.	190372
13.	190395
14.	190429
15.	190451
16.	190457
17.	190547
18.	190569
19.	190576
20.	190586
21.	190622
22.	190671
23.	190702
24.	190782
25.	190804
26.	190821
27.	190823
28.	190873
29.	190891
30.	190927

M. P. Singh
22/11/24

साक्षात्कार हेतु लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक :- 53/2022/30.12.2022		पद/परीक्षा का नाम :- क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022	
अनुक्रमांक-		अभ्यर्थी का नाम :-	
स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
4.	व्यक्तिगत विवरण, पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां। (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
5.	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
7.	हाई स्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
8.	हायर सेकेण्डरी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
9.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर की समस्त वर्षों की अंकसूचियां एवं उपाधि। (स्नातक परीक्षा दिनांक 13.04.2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
10.	यूजीसी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र)(छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। (दिनांक 13.04.2024 तक का जारी प्रमाण पत्र)(छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र। (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति। (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
16.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष :- (1) विज्ञापन क्रमांक-53/2022/30.12.2022 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 10.01.2023, 25.07.2023 एवं 24.11.2023 अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2023 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अथवा (2) आयोग के शुद्धि पत्र क्रमांक-08/16-53/2022 दिनांक 12.04.2024 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 05.04.2024 से दिनांक 13.04.2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 का ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	

17.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
18.	म.प्र. शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण-पत्र न हो तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
19.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
20.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रति एवं सेवावधि का विवरण पत्रक की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
21.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
22.	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.04.2024 के पूर्व प्रमाण पत्र जारी होना अनिवार्य है।)	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
23.	यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो जिसका निराकरण लंबित हो या हो चुका हो तो उससे संबंधित दस्तावेज।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
24.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
25.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्रमांकसे तक	
	कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-

05/ साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 13/12/2024 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने अभिलेख आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06/ आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2024 के निर्णय क्रमांक-20 के निर्णयानुसार आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा/लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने वाले समस्त प्रकरणों में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होकर साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किए गए केवल ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त होते हैं एवं किसी कारणवश नहीं भेजे जाते हैं तो ऐसे आवेदकों से विलम्ब शुल्क के साथ आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने हेतु निम्नानुसार राशि निर्धारित की गई है :-

आयोग द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 13/12/2024 के पश्चात् कार्यालयीन दिवस/समय प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक निम्नानुसार विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कराने के पश्चात् अभिलेख जमा किए जा सकेंगे।

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)।	दिनांक 16/12/2024 से 20/12/2024 तक
02.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् 10 कार्यालयीन दिवस तक (अर्थात् 06 से 10 दिवस तक) राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)।	दिनांक 23/12/2024 से 30/12/2024 तक

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथियों के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

अविस्त/

Himanshu
22/11/24

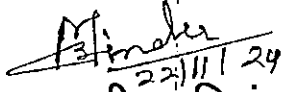
महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्रावधिक दोनों ही भागों में अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
3. क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
6. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
7. उपरोक्तानुसार जारी प्रावधिक लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक TRANSFER PETITION (C) No. 1120 OF 2023 Dated 02/09/2024 एवं माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक-5596/2024, 2108/2022 एवं समान अन्य याचिकाओं व माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक-एस.एल.पी. 12398/2023 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। उपरोक्त परीक्षा से संबंधित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.-4859/24 एवं अन्य प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
8. क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 में उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान (रिक्त पदों के विरुद्ध एवं जनभागीदारी) तथा मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविदा आधार पर कार्यरत अतिथि विद्वानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे।
9. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 13/12/2024 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,
इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2022 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।


22/11/24
उप परीक्षा नियंत्रक